प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी......व भू.अ. निरिक्षक......तहसील रायपुर

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के ग्राम अर्जुनगढ़ मे
मौका मुताबिक प्रार्थना पत्र के संबंध मे । प्रार्थी के
ख0 स 50 मे नाम दुरुस्त करने के संबंध मे । प्रार्थी के
खातासे 50 ग्राम अर्जुनगढ़ मे नेनु पि डीपा रेगर दर्ज है
लेकिन समस्त दस्तावेज मे नानुराम पि डीपाराम रेगर
नि आगोलिया के नाम है अतः ग्राम अर्जुनगढ़ मे ख0 स
50 मे नेनु पि डीपा रेगर के बजाय नानुराम पि डीपाराम
रेगर किया जाना उचित है

पटवारी 10/10/21

I.L.R. 10/10/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

राजस्व 11-10-2021

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर की जांच अनुसार
शुद्धि ~~उचित~~ उचित है।

11/10/21

तहसीलदार (...) रायपुर
...भीलवाड़ा

आदेश

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
दिनांक 11.10.2021

क्रमांक / प्र0गा0 सं./2021/19/2021

रिपोर्ट प0 ह0 व जांच भूअभि निरी व तहसीलदार रायपुर के अनुसार खा. सं. 50 मे सह
राजस्व ग्राम अर्जुनगढ़ की जमाबन्दी (2075-78) के खा.सं. 50 मे सह खातेदार का नाम
नेनु पुत्र डीपा रेगर के बजाय नानुराम पि0 डीपा रेगर का नाम
नेनु पुत्र डीपा रेगर के बजाय नानुराम दर्ज किया जावे।
जावे, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज किया जावे।

11.10.2021

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:11:17 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO.03
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

नानुराम पुत्र दीपा रेगर निवासी बागोलिया तहसील रायपुर — प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा — विपक्षी

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956 — मु0नं0 19 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	
दिनांक– 11-10-2021	प्रार्थी नानुराम पुत्र दीपा रेगर निवासी बागोलिया तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम अर्जुनगढ़ के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2074–2077 में शामलाती खाता संख्या 50 में किता 2 रकबा 1.62 है0 भूमि प्रार्थी के स्वयं का नाम नेनु पुत्र दीपा रेगर सा. देह के नाम पर सहखातेदार से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के नाम नानुराम पुत्र दीपा रेगर के बजाय नेनु पुत्र दीपा रेगर अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम नानुराम पुत्र दीपा रेगर है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम अर्जुनगढ़ के खाता संख्या 50 में खातेदार नेनु पुत्र दीपा रेगर के बजाय नानुराम पुत्र दीपा रेगर दुरूस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरस्ती करने की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार नेनु पुत्र दीपा रेगर के बजाय नानुराम पुत्र दीपा रेगर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sundar Lal Bamboda Date: 2021.12.18 16:11:17 IST Reason: SelfAttested 11·10·2021 (सुन्दर लाल बम्बोडा) उपखण्ड अधिकारी, रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा	